(30)

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

संख्या 437 /ए–7/27 दिनांक 30-1-2019

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं संस्तुति के आधार पर आवास आयुक्त (म0) के कार्यालय आदेश संख्या–710/एम–2 दिनांक 26.02.1998 एवं तद्क्रम में संशोधित आदेश सं0–UPHDB/00/ENG-02 दिनांक 01.04.2004 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (म0) द्वारा निम्नलिखित कार्य की व्ययाधिक्य की स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रदान की गई है :–

1–	कार्य का विवरण	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–9 में 64 नग (जी+3) दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण कार्य।
2–	आई0डी0कोड सं0	143181
3–	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	अभियंत्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या–005/ए–7/292 दिनांक 01.01.2014 द्वारा रु0 256.72 लाख
4–	तकनीकी स्वीकृति की धनराशि	अभियंत्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या–2057/ए–7/292 दिनांक 13.06.2014 द्वारा रु0 256.72 लाख
5–	व्ययाधिक्य स्वीकृति की धनराशि	रु0 36.09 लाख, (14.06 प्रतिशत अधिक)
6–	लेखा शीर्षक संख्या	633/70

30/1/19
(अनिल कुमार मिश्र)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

पृ0सं0: 437 /ए–7/27 दिनांक 30-1-2019

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
2– मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
3– अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट/अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद।
3– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–16/अधिशासी अभियन्ता (पी0–2) उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद/लखनऊ।

30/1/19
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

पत्रांक–425/ENG-2/37 दिनांक–01/02/19
(1) अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-16, गाजियाबाद
(2) सहायक अभियंता (तक0) सप्तम वृत्त, गाजियाबाद
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Alte-1

AE/Sh. Prem Prakash S.E. 31/1/19

Entry

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परि

(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

संख्या 005 /ए.–7/292 दिनांक : 01-01-2014

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता सप्तम वृत्त, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म0) के अनुमोदनोंपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ एतद्द्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है:–

क्र0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियो0 की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1–	143181	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–9 में 64 नग (जी+3) चार मंजिले दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण कार्य।	256.72	633/70

1– सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा सर्विस टैक्स सम्बन्धी सुसंगत नियमों के अन्तर्गत वास्तविक देयता के आधार पर सर्विस टैक्स की कटौती कार्य के देयकों से करते हुए नियमानुसार सम्बन्धित विभाग में जमा किया जायेगा तथा इसका प्राविधान सम्बन्धित सम्पत्ति के मूल्यॉकन में किया जायेगा।

2– जमा की गई धनराशि की सूचना सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्धक को दी जाय जिसका CENVAT Credit सम्पत्ति प्रबन्धक द्वारा आवास आयुक्त के कार्यालय आदेश संख्या–3362/के0ले0अनु0/2013–14 दिनांक 13.12.2013 द्वारा दिये गये आदेशानुसार विकसित/निर्मित सम्पत्ति के विक्रय के समय वसूली गई सर्विस टैक्स की धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा कराने के समय लिया जायेगा।

3– कार्य उच्चतर गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा भवनों का पंजीकरण शीघ्र कराया जाय।

4– प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निविदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।

5– उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।

6– कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ कराया जायेगा।

7– परियोजना से सम्बन्धित अभिलेख/पत्राचार उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगें।

8– विस्तृत प्राक्कलन में ली गई मात्राओं एवं विभिन्न मदों की दरों के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा ।

9– विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी विभिन्न मदों की दरों/इंजीनियरिंग एप्रीसिएशन को आधार नही माना जायेगा, प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जायेगा।

10– भवनों की स्ट्रक्चरल डिजाइन का परीक्षण अधिशासी अभियन्ता अपने स्तर से करके उनके संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे तथा स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षा के लिये आवश्यक प्राविधान सुनिश्चित किया जायेगा।

11– नीव की खुदाई करते समय यह देख लिया जाये कि मिट्टी की प्रकृति स्वायल् टेस्ट रिर्पोट के अनुसार है अथवा नहीं। यदि इसकी गुणत्ता में कोई अन्तर हो तो स्वायल् का पुनः परीक्षण करा लिया जाये तथा नीव की डिजाइन आदि में तदानुसार आवश्यक संशोधन कर लिये जायें।

12– प्रस्ताव के अनुसार कार्य निर्धारित अवधि 13 माह में पूर्ण कर लिया जाये।

01/1/14

(आर0 के0 अग्रवाल)

अधीक्षण अभियन्ता/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

पृ0सं0: 005 /ए–7/292 दिनांकः 01-01-2014

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आवास आयुक्त (म0) के निजी सचिव।

2. मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

3. सम्पत्ति प्रबन्धक, गाजियाबाद को कम संख्या–2 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु।

4–. मुख्य वास्तुविद नियोजक,उ0प्र0,आवास एवं विकास परिषद,इन्दिरा नगर लखनऊ।

5– वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

6– अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,, गाजियाबाद।

7– अधिशासी अभियन्ता, तक0/निर्माण खण्ड–16, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,, लखनऊ/गाजियाबाद।

8– मूल्यांकन /सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।

01/1/14

अधीक्षण अभियन्ता/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर